

पंजीकृत

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइज कौंसिल,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
हर्बटपुर किशियन हॉस्पिटल, स्कूल ऑफ नर्सिंग,
हर्बटपुर, देहरादून।


पत्रांक : 704 दिनांक 30 नवम्बर, 2024
विषय : न०को०/हर्बटपुर कॉलेज/निरीक्षण/सम्बद्धता/59/2024/704
हर्बटपुर किशियन हॉस्पिटल, स्कूल ऑफ नर्सिंग, हर्बटपुर, देहरादून के नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
सत्र 2024-25 को उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइज कौंसिल से अनुमति/सम्बद्धता प्रदान किये
जाने विषयक।

महोदय,

आपके प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत संचालित निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइज कौंसिल से वर्ष 2024-25 सत्र हेतु अनुमति/सम्बद्धता निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित सीट संख्या
1	जी०एन०एम०	30 (Thirty)
2	बी०एस०सी० नर्सिंग	20 (Twenty)

- संस्थान को उपरोक्तानुसार निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- संस्थान को उक्त निर्धारित सीटों में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा।
- भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के निरीक्षण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय उपचर्या परिषद से सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्थान को डिग्री पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से एवं जी०एन०एम० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फॅकल्टी से सम्बद्धता/अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
- संस्थान का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि निरीक्षण में कमियाँ पायी जाती हैं, तो अनुमति/सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- प्रशिक्षण संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/आदेश प्राप्त होंगे वे स्वतः ही संस्थान पर लागू होंगे एवं मान्य होंगे।
- उक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं अनिवार्य होगी।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिये जाने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक योग्यता की उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
- भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय-समय जारी की गई अधिसूचना/गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार चिकित्सालयों में प्रयोगिक, अभ्यासिक एवं क्लिनिकल ट्रेनिंग हेतु निर्धारित समय अवधि (Alloted hours) को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को रेंगूलर (नियमित) उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। यदि कोई संस्थान नोन अटेंडिंग पाठ्यक्रम संचालित करता है तो संस्थान के विरुद्ध लागू विद्यमान नियमों के तहत सम्बद्धता निरस्त करते हुए उक्त सूचना राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली को की जायेगी।
- भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मानकानुसार टीचिंग फॅकल्टी 1:10 के अनुपात में तथा उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइज कौंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।



13. संस्थान को सामुहिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मानसिक चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी एवं दो माह के अन्तर्गत उक्त सूचना कौंसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।
14. संस्थान को लैब्स को सुसज्जित करना होगा एवं लैब में आवश्यक उपकरण सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दो माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
15. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् के नवीन मानकों के अनुसार एडवान्स स्कील लैब्स 02 माह में स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
16. भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली - एनआरटीएस) विनियम, 2019 अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2019 के आलोक में संस्थान में कार्यरत सभी टीचिंग फैकल्टी का एनआरटीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
17. संस्थान में कार्यरत जिन टीचिंग फैकल्टी का उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स कौंसिल में पंजीकरण नहीं है, उन्हें एक माह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नर्सिंग कौंसिल कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
18. उत्तराखण्ड शासन के अनापत्ति पत्र संख्या-221/XXVIII(1)/2015/18/2007 दिनांक 27 फरवरी, 2015 एवं उत्तराखण्ड शासन के ई-पत्र संख्या-1/257211/2024 No.456/XXVIII/E File No.79789/2024 दिनांक 29 नवम्बर, 2024 में वर्णित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
19. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मानकानुसार चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
20. यदि नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के भवन में नर्सिंग पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई नियमित कोर्स संचालित किया जाता है तो संस्थान के विरुद्ध लागू विद्यमान नियमों के तहत सम्बद्धता निरस्त करते हुए उक्त की सूचना राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली को की जायेगी।
21. सम्बद्ध/पेरेंट चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
22. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनुपालन न होने की दशा में संस्थान को निर्गत अनुमति/सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
23. प्रत्येक वर्ष अनुमति/सम्बद्धता विस्तारण हेतु निर्धारित शुल्क उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स कौंसिल कार्यालय में वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/मई में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

संस्थान को उक्त निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों का पालन किये जाने पर ही वर्ष 2024-25 हेतु शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अनुमति होगी।

भारतीय
(मनीषा ध्यानी)
रजिस्ट्रार

पत्रांक : न0कौ0/हर्बटपुर कॉलेज/निरीक्षण/सम्बद्धता/59/2024/
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

तददिनांकित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवों तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020।

(मनीषा ध्यानी)
रजिस्ट्रार



HEMWATI NANDAN BAHUGUNA UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

New Hope Town (Sisambada), PO : Selaqui, Dehradun (India) न्यू हाप टाउन (सिसमबाडा), पत्रालय : सेलाकुई, देहरादून

Dehradun - 248 011, Uttarakhand (India), Phone: 0135-2723321 देहरादून-248011, उत्तराखण्ड (भारत), दूरभाष : 0135-2723321

पत्रांक: 1809/एच0एन0बी0यू0एम0यू0/कु0स0/ 2024-25

दिनांक: 30 नवम्बर, 2024

सहमति / अनापत्ति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हर्बटपुर क्रिश्चियन हास्पिटल, हर्बटपुर, देहरादून नामक संस्थान ने वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून से सम्बद्धता हेतु आवेदन किया है।

विश्वविद्यालय अधिनियम के धारा 04 की उपधारा 02 के अनुपालन में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-465/XXVIII(6)2024- E file No.-79789/(02Nursing)/2024 दिनांक: 29 नवम्बर, 2024 के माध्यम से उक्त संस्थान को नर्सिंग पाठ्यक्रम बी0एस0सी0-नर्सिंग-20 सीट (नवीन पाठ्यक्रम) शैक्षिक सत्र 2024-25 के संचालन हेतु अनिवार्यता पत्र जारी किया गया है।

चूंकि संस्थान को नर्सिंग पाठ्यक्रम बी0एस0सी0-नर्सिंग-20 सीट, शैक्षिक सत्र 2024-25 की अस्थाई सम्बद्धता हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, अतएव हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, द्वारा निम्न शर्तों के अधीन उक्त पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

1. विश्वविद्यालय की गठित निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान के निरीक्षण के पश्चात मा0 राज्यपाल महोदय को प्रेषित निरीक्षण आख्या में मा0 राज्यपाल महोदय द्वारा सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु कराये गये निरीक्षण में कॉलेज, द्वारा समस्त निर्धारित मानक आई0एन0सी0 के मानकानुसार पूर्ण करने होंगे।
3. सीटों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइवज काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय की कार्यवाही की जाएगी।

कुलसचिव

हे0न0ब0उ0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

them.

ix. Hospital empanelment will not be terminated by the The Institute/University/Hospital until the batch is passes out, otherwise legal action will be taken against the Institute/University/Hospital.

3- It is further certified that:-

- a) It is desirable to run the Nursing programs in the interest of public.
- B) Adequate clinical material as per the Indian Nursing Council norms is available. It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure both clinical and teaching for the School/College of Nursing as per INC norms then the fresh admission would be stopped by the State Government and INC.

Yours faithfully,

Signed by

Rajan Rajesh Kumar

Date: 29-11-2024 13:35:28

(Dr. R. Rajesh Kumar)
Secretary.

No. 456 /XXVIII(6)2024-E File No.-79789/(02 Nursing)/2024, Dated as above:

Copy for information and necessary action to:-

- 1-Secretary, Indian Nursing Council, 8th Floor, NBCC Centre, Plot No.2, Community Centre, Okhla phase-I New Delhi- 110020.
- 2-Director, Medical Education Department, Uttarakhand, Dehradun.
- 3-Registrar, H.N.B. Uttarakhand Medical Education University, Dehradun.
- 4-Registrar, State Medical Faculty, Uttarakhand Dehradun.
- 5-Registrar, State Nursing Council, Uttarakhand Dehradun.
- 6-Director/Secretary **Herbertpur Cristian Hospital, Herbertpur, Dehradun.**
- 7-Guard File.

Order By,

Signed by

Richa

Date: 29-11-2024 14:13:12
(Richa)
Under Secretary.